FROM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3.9.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली बहस में नियत होने से वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस को सुना गया। वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया गया कि मौजा बिलौर के खाता संख्या 225 में वर्णित आराजी किता 4 कुल रकबा 3.0500 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण का 1/3 हक हिस्सा है। तथा खाता संख्या 226 में वर्णित आ.नं. 578, किता आराजी 1 कुल रकबा 0.9700 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण का हक हक हिस्सा है। प्रार्थना-पत्र में वर्णित आराजीयात का जब तक विधिवत बंटवारा नहीं किया जावे तब तक कृषि आराजियात में किसी प्रकार का कोई निर्माण व कृषि भूमि के स्वरूप को परिवर्तन नहीं करें इस हेतु विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग की भूमि में दखलन्दाजी नहीं करें यथास्थिति बनाये रखें। इस सम्बन्ध में वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का गहन अध्ययन कर राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन परीक्षण यह पाया गया कि न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में दिनांक 13-4.2018 को जारी किया गया अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश को कन्फर्म किया जाता है। साथ ही विपक्षी संख्या 1 व 2 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजियात में किसी प्रकार का कोई निर्माण [illegible] के स्वरूप को परिवर्तित नहीं करे, प्रार्थीगण [illegible] में दखलन्दाजी नहीं करें यथास्थिति [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] में [illegible] हो। उपखण्ड अधिकारी डूंगला	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Singh Meena
Date: 2021.12.27 16:21:56 IST
Reason: SelfAttested